



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1026]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 22, 2017/पौष 1, 1939

No. 1026]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 22, 2017/PAUSA 1, 1939

पोत परिवहन मंत्रालय

(पीएचआरडी डिवीजन)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 2017

सा.का.नि. 1582(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 के 38) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खंड (ग) के अनुसरण में और दिनांक 31.12.2015 के भारत सरकार में पोत परिवहन मंत्रालय (पीएचआरडी डिवीजन) की अधिसूचना सा.का.नि. 1025(अ), के अधिक्रमण में, केन्द्र सरकार एतद्वारा निम्न तालिका के कॉलम—(3) में विनिर्दिष्ट संख्या में व्यक्तियों को कॉलम—(2) में दर्शाए हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए 01.04.2018 से 31.03.2020 तक की अवधि के लिए दीनदायल पत्तन के न्यासी बोर्ड में नियुक्त करती है।

तालिका

क्रम सं.	हित	नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों की सं.
(1)	(2)	(3)
1	पत्तन में नियोजित श्रमिक	2
2	वाणिज्यिक समुद्री विभाग के प्रतिनिधि	1
3	सीमा शुल्क विभाग के प्रतिनिधि	1
4	गुजरात राज्य सरकार के प्रतिनिधि	1
5	पोत परिवहन मंत्रालय के प्रतिनिधि	1
6	रक्षा सेवा (नेवी) के प्रतिनिधि	1
7	तटरक्षक के प्रतिनिधि	1
8	भारतीय रेलवे के प्रतिनिधि	1
9	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के प्रतिनिधि	1
10	महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 के 38) की धारा 3(1)(ग) (i)(7) के अंतर्गत परिकल्पित अन्य हित	4

11	महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 के 38) की धारा 3(1)(ग) (ii) के अंतर्गत परिकल्पित अन्य हित	3
	कुल	17

[फा. सं. एल बी-11013/10/2017-एल]

कोनथांग तऊथांग, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING

(PHRD Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd December, 2017

G.S.R. 1582(E).—In pursuance of clause (c) of sub-section (1) of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) and in supersession of the Notification of the Government of India in the Ministry of Shipping (PHRD Division) No. G.S.R. 1025(E), dated the 31st December, 2015, the Central Government hereby specifies the number of persons mentioned in column (3) of the Table below to be appointed to represent the interests mentioned in column (2) of the said Table on the Board of Trustees of the Deendayal Port Trust for the period from 01.04.2018 to 31.03.2020:—

TABLE

Sl. No.	Interests	No. of Persons to be appointed
(1)	(2)	(3)
1.	Labour employed in the Port	2
2.	Representative of Mercantile Marine Department	1
3.	Representative of Department of Customs	1
4.	Representative of State Government of Gujarat	1
5.	Representative of Ministry of Shipping	1
6.	Representative of Defence Services (Navy)	1
7.	Representative of Coast Guard	1
8.	Representative of Indian Railways	1
9.	Representative of Ministry of Environment, Forest & Climate Change	1
10.	Other Interests as envisaged under Section 3(1)(c)(i)(7) of MPT Act, 1963 (38 of 1963)	4
11.	Other Interests as envisaged under Section 3(1)(c)(ii) of MPT Act, 1963 (38 of 1963)	3
	TOTAL	17

[F. No. LB-11013/10/2017-L]

KONTHANG TOUTHANG, Jt. Secy.